UPJS010032132024

न्यायालय जनपद न्यायाधीश, झाँसी

सिविल अपील (पी०पी० एक्ट) सं०-26/2024

संतोष सिंह **बनाम** अधिशासी अधिकारी, नगर पालिक परिषद

दिनांक–30.05.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गयी। विभिन्न अन्तरालों में कई बार पुकार कराये जाने पर अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नही हैं।

प्रश्नगत सिविल अपील विचारण न्यायालय – उपजिलाधिकारी, न्यायिक, गरौठा, जिला–झाँसी द्वारा वाद सं०–3184/2021 अधिशासी अधिकारी बनाम संतोष सिंह, अन्तर्गत धारा–3/5 पब्लिक प्रेमीसेस एक्ट, में पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित –09.06.2023 से क्षुब्ध होकर योजित की गई है। आदेशपत्रक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत मामले में विगत पाँच नियत तिथियों से अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को उक्त वाद के निस्तारण में कोई रूचि शेष नहीं रही है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत अपील को लम्बित रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

तदनुसार, सिविल अपील (पी०पी० एक्ट) सं०–26/2024 संतोष सिंह बनाम अधिशासी अधिकारी, अपीलार्थी की अनुपस्थिति एवं बल के अभाव में **निरस्त** की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार दाखिल की जाए।

(कमलेश कच्छल)
जनपद न्यायाधीश,
झाँसी।

Digitally signed by Kamlesh Kuchhal
Date: 2026.05.30 13:08:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court